राजस्थान सरकार

<u>नगरीय विकास विभाग</u>

क्रमांकः–प.17(10)नविवि / नियम / 2019 **जयपुर, दिनांक**

<u>आदेश</u>

समस्त विकास प्राधिकरणो तथा नगर विकास न्यासों के क्षेत्राधिकार में सृजित प्राधिकरण / न्यास की योजनाओं / कॉलोनियों में लॉटरी के द्वारा आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भूखण्डों के 20 प्रतिशत से अधिक आवासीय भूखण्ड (नीलामी योग्य भूखण्डों को छोडते हुए) आवंटित नहीं होने के कारण रिक्त होने की स्थिति में, राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 31 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण / न्यास को रिक्त आवासीय भूखण्डों का आवंटन, राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम–17 के प्रावधानान्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार, लॉटरी के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश दिनांक 31.12.2025 तक प्रभावी रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, वित्त सचिव (राजस्व) विभाग।
8. शासन उप सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नविवि।
9. आयुक्त / सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
10. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
12. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी / उपविधि परामशी, नविवि, जयपुर।
13. अति0 निदेशक, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।

Document certified by RAVI VIJAY
<ravijay26@gmail.com>

Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation :- Deputy
Secretary To Government
Date :23-04-2025 11:48:54

शासन उप सचिव–प्रथम

RajKaj Ref No.: 14872271